

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 22/08/2025

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.25 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं गवर्नमेंट काउन्सिल्स को विभागों का आवंटन किया गया था, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष जल संसाधन विभाग के प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु श्री प्रवीण खण्डेलवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता को अधिकृत किया गया था।

उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.25 की -निरन्तरता में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष जल संसाधन विभाग की ओर से प्रकरणों में पैरवी करने हेतु श्री प्रवीण खण्डेलवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ सुश्री/श्रीमती जया, एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल को भी अधिकृत किया जाता है।

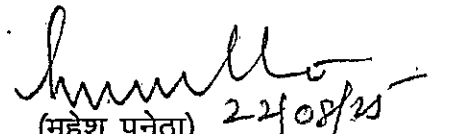
हू -

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
5. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
6. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. प्रशासक वादकरण, जोधपुर।
8. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल्स, जोधपुर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सचिव, राज0, लोक सेवा आयोग, अजमेर।
13. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
14. संबंधित कोषाधिकारी।
15. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
16. ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 22/08/25
विशिष्ट शासन सचिव